रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 1973/कार्तिक 4, 1895
No. 248] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 1973/KARTIKA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th October 1973

SUBJECT.—*Import of raw materials and components by units engaged in priority industries during April 1972—March 1973.*

No. 174-ITC(PN)/73.—Attention is invited to para 3 of late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 138-ITC(PN)/72 dated the 22nd September, 1972 according to which import licences issued on the basis of consumption during a period of 12 months will be subject to the condition that the licensee shall not be permitted to make remittance against these licences for a value exceeding 50 per cent of the value of the licence during the first six months of the validity period of the licence.

2. On a review of the position, it has been decided that this condition regarding remittance will not be applicable in the case of licences issued under IDA Credit and Rupee Payment Area. The conditions mentioned in para 3 of the aforesaid Public Notice will, however, continue to be applicable to licences issued against sources other than IDA Credit and Rupee Payment Area.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1973

विषय.—अप्रैल 1972–मार्च, 1973 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए एककों द्वारा **कच्चे माल** तथा संघटकों का आयात।

संख्या 174 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 138 आई० टी० सी० (पी०एन०)/72 दिनांक 22 सितम्बर, 1972 की कंडिका 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस के अनुसार 12 मास की अवधी के दौरान खपत के आधार पर जारी किए आयात लाइसेंस इस शर्त के अधीन होंगें कि लाइसेंस धारी को लाइसेंस की वध अवधि के प्रथम 6 मास के दौरान लाइसस के 50 प्रतिशत से अधिक मूल्य के लिए इन लाइसेन्सों के मद्दे प्रषण को अनुमती नहीं दी जायेगी –

2. स्थिति को पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि प्रेषण के बारे में यह शर्त आई डी ए क्रडिट तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के अर्न्तगत जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगी। किन्तु उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कडिका 3 में उल्लिखित शर्त आई०डी०ए० क्रेडिट तथा रुपया भुगतान क्षेत्र से भिन्न श्रोतों के मद्दे जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू रहेगी।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973